

29.05.2024 पत्रावली पेश हुई।

अधिवक्ता प्राथमिक अपस्थित अधिवक्ता प्राथमिक ने अपने प्राथमिक-पत्र को जरिमे नोटबुक में खारिज करने का निवेदन किया।

अधिवक्ता प्राथमिक के निवेदन पर प्राथमिक-पत्र अंतर्गत धारा 212 राजस्थान कोशतकरी अधिवक्ता प्राथमिक जरिमे नोटबुक इसी स्तर खारिज किया जाता है।

पत्रावली फंसल शुमार होकर नम्बर से क्रम की जाकर डाकिल दफ्तर है।



सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
(फास्टट्रेक) सांचौर

Handwritten signature

Handwritten signature